

अध्याय-II

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर विभाग मुख्य रूप से मूल्य परिवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर एवं विद्युत शुल्क से संबंधित कार्य देखता है, जो निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अधीन निर्मित नियमों से विनियमित होते हैं:

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (रा.मू.प.कर) अधिनियम, 2003;
2. केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956;
3. राजस्थान में स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999;
4. राजस्थान विलासिता कर (होटल और ठहराव घरों में) अधिनियम, 1990;
5. राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957; तथा
6. राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 ।

राजस्थान में मूल्य परिवर्धित कर के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, जो 01.04.2006 से लागू है, द्वारा शासित होते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्तर-राज्य बिक्री के मामलों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं उसके अधीन निर्मित नियम भी प्रचलन में हैं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विभागीय स्तर पर प्रशासन के लिये उत्तरदायी है, जबकि सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासकीय स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों को लागू करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता हेतु सात अतिरिक्त आयुक्त, 34 उपायुक्त, 48 सहायक आयुक्त, 101 वाणिज्यिक कर अधिकारी और 523 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं।

2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों यथा बजट अनुमानों के साथ इसी अवधि की राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर अधिक(+)/कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	बढ़ोतरी की दर	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्ति का कुल कर प्राप्ति पर प्रतिशत
2007-08	7,676.00	7,750.74	(+) 74.74	(+) 0.97	15.33	13,274.73	58.39
2008-09	8,500.00	8,904.50	(+) 404.50	(+) 4.76	14.89	14,943.75	59.59
2009-10	10,030.00	10,163.53	(+) 133.53	(+) 1.33	14.14	16,414.27	61.92
2010-11	11,730.00	12,629.59	(+) 899.59	(+) 4.67	24.26	20,758.12	60.84
2011-12	13,490.00	15,766.43	(+)2,276.43	(+) 16.87	24.84	25,377.05	62.13

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों की प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों की 58.39 और 62.13 प्रतिशत के मध्य रही। यह भी पाया कि इस मद के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रहण में सतत वृद्धि रही। उपरोक्त से यह ज्ञात होता है कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर का राजस्व कर प्राप्तियों में बड़ा अंशदान है। इसका अंशदान वर्ष 2007-08 के 58.39 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 62.13 प्रतिशत हुआ।

2.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया राशि ₹ 2,927.35 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 997.68 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्नलिखित सारणी 31 मार्च 2012 को राजस्व के बकाया की वर्षवार स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.04.2011 को कुल बकाया	वर्ष 2011-12 के दौरान वसूली	31.3.2012 को बकाया वसूली
2006-07 तक	1039.68	41.82	997.68
2007-08	287.12	59.06	228.06
2008-09	729.02	290.40	438.62
2009-10	963.86	547.68	416.18
2010-11	2,070.26	1,223.63	846.63
योग	5,089.94	2,162.59	2,927.35

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से ₹ 997.68 करोड़ की वसूली, राजस्व संग्रहण हेतु लम्बित थी। विभाग से अनुरोध (जुलाई 2012) किये जाने के बावजूद भी यह नहीं बताया गया कि बकाया किस स्तर पर लम्बित थे (नवम्बर 2012)।

अत्यधिक समय निकल जाने के बाद, बकाया वसूली की सम्भावना बहुत क्षीण हो जाती है। हम अनुशांसा करते हैं कि राज्य सरकार विभाग को निर्देश देवे कि वे प्रत्येक स्तर पर बकाया की वसूली की निगरानी करे और वसूली के लिये प्रभावी कदम उठावे।

2.4 मूल्य परिवर्धित कर का प्रति करदाता संग्रहण

निम्नलिखित विवरण विगत पाँच वर्षों के दौरान बिक्री कर/मूल्य परिवर्धित कर का प्रति करदाता संग्रहण दर्शाता है:

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर/वेट राजस्व (₹ करोड़ में)	प्रति करदाता राजस्व (₹ लाख में)
2007-08	3,19,537	7,750.74	2.43
2008-09	3,44,852	8,904.50	2.58
2009-10	3,76,688	10,163.53	2.70
2010-11	4,09,323	12,629.59	3.09
2011-12	4,55,035	15,766.43	3.45

यह प्रशंसनीय है कि प्रत्येक वर्ष में प्रति करदाता राजस्व में वृद्धि हुई।

2.5 संग्रहण की लागत

राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान सकल संग्रहण के व्यय के सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2007-08	7,750.74	53.76	0.70	0.82
2.	2008-09	8,904.50	70.21	0.80	0.83
3.	2009-10	10,163.53	85.90	0.85	0.88
4.	2010-11	12,629.59	86.97	0.69	0.96
5.	2011-12	15,766.43	84.89	0.54	0.75

उपरोक्त को देखने से ज्ञात होता है कि राजस्व संग्रहण पर किये गये व्यय का प्रतिशत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम था।

2.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

वर्ष 2010-11 तक के विगत पाँच वर्षों में, हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 306.39 करोड़ राजस्व प्रभाव के 43 अनुच्छेद अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, टर्नओवर को छिपाना/कर की गलत दर लगाना, कर की गलत गणना इत्यादि से सम्बन्धित दर्शाये। इनमें से 27 अनुच्छेदों में सन्निहित ₹ 166.39 करोड़ लेखापरीक्षा आक्षेपों को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और जिनमें से ₹ 2.13 करोड़ की

वसूली (सितम्बर 2012) कर ली गई जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2006-07	11	150.61	6	144.26	3	0.14
2007-08	5	17.88	2	0.32	2	0.32
2008-09	10	28.25	7	17.79	5	0.96
2009-10	8	4.47	5	2.23	5	0.58
2010-11	9	105.18	7	1.79	2	0.13
योग	43	306.39	27	166.39	17	2.13

स्वीकार की गई राशि में वसूली का 1.28 प्रतिशत है। वसूली की कम प्रतिशतता इंगित करती है कि विभाग द्वारा स्वीकार की गई राशि की वसूली भी नहीं कर पाया।

सरकार द्वारा विभाग को निर्देश जारी करने चाहिये कि कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली को बढ़ावें।

2.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का वित्तीय सलाहकार प्रमुख होता है। विभाग में, 13 आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं और प्रत्येक का सहायक लेखाधिकारी नेतृत्व करता है। इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना उसकी महत्ता एवं अर्जित राजस्व के आधार पर की जाती है। विगत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लम्बित इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का बकाया होना	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों	लेखापरीक्षा में बकाया इकाइयों	प्रतिशत में कमी
2007-08	0	443	443	378	65	15
2008-09	65	396	461	357	104	23
2009-10	104	393	497	299	198	40
2010-11	198	384	582	489	93	16
2011-12	93	384	477	411	66	14

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान 14 और 40 प्रतिशत के मध्य आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादन में कमी रही।

यह भी ध्यान में आया कि वर्ष 2011-12 के अन्त तक आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,016 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति

निम्न प्रकार है:

वर्ष	2006-07 तक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अनुच्छेदों की संख्या	8,427	1,724	1,662	1,753	1,614	1,926	17,016

वर्ष 2006-07 तक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 8,427 अनुच्छेद बकाया थे, जो यह दर्शाता है कि स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी नहीं कर रहा था।

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 में वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित 96 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच की, हमने 1,971 प्रकरणों में ₹ 963.20 करोड़ के कर के कम/अवनिर्धारण, अनियमित छूट प्रदान करना, ब्याज का अनारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ पायी, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	389.09
2.	कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण नहीं करना	298	338.55
3.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	93	2.72
4.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	49	2.82
5.	अनियमित छूट प्रदान करना	146	16.39
6.	क्रय कर का अनारोपण	10	0.22
7.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	169	2.98
8.	अन्य अनियमितताएँ	1,205	210.43
योग		1,971	963.20

वर्ष 2011-12 के दौरान, विभाग ने 232 प्रकरणों में ₹ 4.98 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 10.00 लाख के 31 प्रकरण वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 15 प्रकरणों में ₹ 2.63 लाख वसूल किये, जिनमें से ₹ 3.00 लाख के चार प्रकरण वर्ष 2011-12 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर ₹ 389.09 करोड़ सन्निहित की एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ₹ 7.11 करोड़ के कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा आक्षेपों का अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

2.9 'मूल्य परिवर्धित कर (वेट) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) के निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- 24 व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने बेलैन्स शीट, ऑडिट रिपोर्टों एवं अन्य अभिलेखों को व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की गई वेट विवरणियों के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रपत्रों को सत्यापित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.67 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.9.8)

- चार प्रकरणों में माल की बिक्री को कार्य संविदा मानकर गलत वर्गीकरण करने एवं दो प्रकरणों में कर मुक्ति शुल्क के गलत आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.9.10)

- पाँच व्यवहारियों के आगत कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) के दावों की जांच करने पर पाया कि व्यवहारी या तो आई.टी.सी. के हकदार नहीं थे या उनके द्वारा हकदारी में अधिक आई.टी.सी. के दावे किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ की आई.टी.सी. अधिक स्वीकृत की गई और ₹ 53.22 लाख का ब्याज भी आरोपणीय था।

(अनुच्छेद 2.9.11)

- विभिन्न कर मुक्ति/आस्थगन योजनाओं के अन्तर्गत वेट आस्थगन की गलत गणना, मांग कायम नहीं करने और अनुदान की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 13.37 करोड़ का अधिक आस्थगन हुआ।

(अनुच्छेद 2.9.12.1 से 2.9.12.3)

- केन्द्रीय बिक्री कर नियमों के विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री कर घोषणा पत्रों को निर्धारण के बाद स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 16 प्रकरणों में ₹ 46.74 करोड़ की अनियमित रियायत/छूट।

(अनुच्छेद 2.9.13.1)

- विभाग में ऐसी कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी, जिससे यह सत्यापन हो सके कि व्यवहारी द्वारा जिस उद्देश्य के लिये माल क्रय किया गया, उसी हेतु उसका उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त, घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों के गलत उपयोग के मामले में शास्ति लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। व्यवहारी को वैयक्तिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिये अधिसूचनाओं के नियमों एवं शर्तों में बार-बार छूट दिया जाना पाया गया।

(अनुच्छेद 2.9.14)

- सात वृत्तों के 25 व्यवहारियों के मामलों में वेट विवरणियाँ प्रस्तुत करने और वेट राशि जमा कराने में विलम्ब हुआ, यद्यपि ₹ 18.09 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.9.16)

2.9.1 प्रस्तावना

मूल्य परिवर्धित कर (वेट) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) का निर्धारण, वसूली एवं संग्रहण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (रा.मू.प.कर अधिनियम) और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के.बि.क. अधिनियम) एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा शासित है। प्रत्येक व्यवहारी जो माल का आयातकर्ता या जिसका टर्नओवर रुपये दस लाख से अधिक या माल का निर्माता जिसका वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपये से ज्यादा हो, तो उसे सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर रा.मू.प.कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराना होता है। इस प्रकार स्वीकृत किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र अहस्तान्तरित होता है और तब तक प्रभावी रहता है जब तक निरस्त न कर दिया जावे। अधिनियमों में उल्लिखित दरों पर विक्रय किये गये माल के करयोग्य टर्नओवर पर कर वसूला जाता है।

रा.मू.प.कर अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यवहारी के, उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर त्रैमासिक या वार्षिक निर्धारण मान लिया जाता है। यद्यपि, यदि कोई गलती का पता लगता है तो व्यवहारी को रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 के अन्तर्गत संशोधित विवरणी दाखिल करने एवं तदनुसार कर जमा कराने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि पंजीकृत व्यवहारी विवरणी दाखिल नहीं करता है या स्वीकृत समयवाधि में गलती नहीं सुधारता है तो निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) उसके सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर का निर्धारण करेगा।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 27 के अनुसार, आयुक्त, वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) ऐसे पंजीकृत व्यवहारी, जिनका उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड या रेन्डम चयन के आधार पर या जिनके बारे में ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो, कि उनके व्यापार की विस्तृत जांच आवश्यक है, के व्यापार की लेखापरीक्षा कराये जाने का प्रबन्ध करेगा।

2.9.2 संगठनात्मक ढांचा

सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार के नियन्त्रणाधीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर वेट एवं के.बि.क. प्राप्तियों का संचालन करते हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता के लिए सात अतिरिक्त आयुक्त एवं 34 उपायुक्त एवं एक वित्तीय सलाहकार हैं। आन्तरिक जांच दल वित्तीय सलाहकार को

रिपोर्ट करता है। उपायुक्त जोन स्तर¹ पर वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रत्येक जोन पर एक अलग उपायुक्त (अपील) होता है जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कहलाता है।

2.9.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा कि:

- यह सुनिश्चित करने के लिये की कि क्या रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधान राज्य के राजस्व को सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त थे और सही ढंग से लागू किये गये थे;
- अधिनियम के प्रावधानों की व्यवहारियों द्वारा की जा रही पालना का मूल्यांकन करने के लिये;
- निर्धारण में राजस्व हानि या अवनिर्धारण या अन्य अनियमितताओं की जांच करने के लिये; एवं
- यह जांचने के लिये कि क्या विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावी थी।

2.9.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों से लिये गये:

राज्य कानून

- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003;
- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 ।

केन्द्रीय कानून

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण व टर्नओवर) नियम, 1957 ।

¹ वाणिज्यिक कर विभाग के 13 प्राशनिक जोन है।

2.9.5 निष्पादन लेखापरीक्षा के चयन के कारण, क्षेत्र एवं प्रणाली

विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिये आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय और उप सचिव, (कर) राजस्थान सरकार सहित 109 वृत्तों में से 17 वृत्तों² के अवधि 2008-09 से 2010-11 तक के लेखों का चयन किया गया। वृत्तों का चयन 'पुनःस्थापन सहित आकार के अनुरूप संभावना प्रतिचयन विधि' से किया गया। उक्त वृत्तों के अतिरिक्त 'विशेष राजस्थान, जयपुर' का चयन किया गया क्योंकि इस वृत्त द्वारा राज्य के कुल वेट एवं के.बि.क. का 40 प्रतिशत से भी अधिक का संग्रहण किया गया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर कार्यालय में दिनांक 16 जनवरी 2012 को प्रारम्भिक सम्मेलन किया गया, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। तथ्यात्मक विवरण/ड्रॉफ्ट अनुच्छेद को जून/अक्टूबर 2012 में सरकार तथा आयुक्त को भिजवा दिये गये थे। 25 अक्टूबर 2012 को आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं उप सचिव (कर) वित्त विभाग के साथ एक समापन बैठक हुई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर चर्चा की गई। समापन बैठक के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त उनके जवाबों को सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया।

विषय के चयन के कारण: राजस्थान राज्य के कर राजस्व में वेट/के.बि.क. प्राप्तियों का सबसे अधिक योगदान है। प्राप्तियों की प्रतिवर्ष सतत बढ़ती हो रही है और लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बहुत सी कमियों को ध्यान में लाया गया। इसके अतिरिक्त वेट लागू होने के बाद से निष्पादन लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। अतः लेखापरीक्षा ने इस विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा किये जाने को उचित समझा गया।

2.9.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

² वृत्त: विशेष-III जयपुर, विशेष-I भिवाड़ी, विशेष अजमेर, विशेष राजस्थान जयपुर, विशेष-I जयपुर, विशेष अलवर, सी-जयपुर, बी-जोधपुर, जी-जयपुर, जे-जयपुर, सूरतगढ़, सीकर, ए-अजमेर, डब्ल्यू.टी. अलवर, डब्ल्यू.टी. जोधपुर, प्रतिकरापवंचन-I राजस्थान, जयपुर और प्रति-करापवंचन-II राजस्थान जयपुर।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.9.7 व्यापार लेखापरीक्षा निर्धारण रिपोर्ट के लिये प्रारूप का अभाव

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 27 के अनुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर ऐसे पंजीकृत व्यवहारी जिनका उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड या रेन्डम चयन के आधार पर या जिनके बारे में ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त आधार है, कि उनके व्यापार की विस्तृत जांच आवश्यक है और अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाया जाना आवश्यक है, के व्यापार की लेखापरीक्षा कराये जाने का प्रबन्ध करेगा।

यह देखा गया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिये व्यापार लेखापरीक्षा के लिये किसी भी मामले का चयन नहीं किया था। तथापि, 2008-09 और 2009-10 के लिये यद्यपि व्यापार लेखापरीक्षा की गई परन्तु कोई भी लेखे यथा बैलेन्स शीट, व्यापार खाता को रिकार्ड पर नहीं लिया

गया। अधिनियम के अन्तर्गत ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिये कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। प्रारूप के अभाव में कर निर्धारण का सही होना लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार/विभाग ने समापन बैठक के दौरान अवगत कराया कि विभाग में एक समिति का गठन कर लिया गया है साथ ही उसे ऑडिट रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करने का कार्य भी दिया गया है और समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार/विभाग निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट के लिये प्रारूप निर्धारित करने के लिये विचार करे।

2.9.8 स्व-निर्धारण मामलों में कर की अवसूली/कम वसूली

यह देखा गया कि विभाग ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 में सभी कर निर्धारण रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 23 और 24 के अन्तर्गत किये लेकिन इन वर्षों में व्यवहारियों के व्यापार की लेखापरीक्षा नहीं की गई। अवधि 2006-07 से 2008-09 तक की अवधि के 24 मामलों की जांच के दौरान कुछ आपत्तियां ध्यान में आयी, जिनमें व्यापार की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, को निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है:

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV एवं V के अनुसार, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा उपयोग में लिये गये मोटर वाहनों के विक्रय पर चार प्रतिशत एवं टेन्ट पर 12.5 प्रतिशत कर देय है।

2.9.8.1 पाँच वृत्त³ के 19 व्यवहारियों की विवरणियों के साथ संलग्न बैलेन्स शीट की अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2006-07 से 2008-09 के मध्य व्यवहारियों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी, उपयोग में लिये गये मोटर वाहन तथा टेन्ट की बिक्री

की गई थी। तथापि, व्यवहारियों द्वारा इन सम्पत्तियों के विक्रय को प्रस्तुत विवरणियों में नहीं दर्शाया गया था। निर्धारण अधिकारी इस गलती का पता नहीं लगा सके। यद्यपि, चार्टर्ड एकाउटेन्ट की ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय को दर्शाया था, विवरणियों के साथ संलग्न उपलब्ध थी। निर्धारण अधिकारी की गलती के परिणामस्वरूप कर ₹ 4.70 लाख और ब्याज ₹ 1.56 लाख का अनारोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि तीन वृत्तों के आठ मामलों में ₹ 2.98 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी। शेष मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2012)।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 (35)(iv) के अनुसार नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर किसी भी उद्देश्य के लिये माल के उपयोग के अधिकार का हस्तान्तरण किया जाता है तो यह हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति द्वारा माल की बिक्री माना जायेगा।

2.9.8.2 तीन विद्युत वितरण कम्पनियों⁴ की विवरणियों के साथ संलग्न बैलेन्स शीट की जांच में पाया गया कि ये कम्पनियां विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिये उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर एवं सर्विस लाइनें उपलब्ध करा रही थी, जिसके लिये वे किराया प्रभार वसूल रही थी। कम्पनियों द्वारा वर्ष 2006-07

से 2008-09 के दौरान किराया प्रभारों के ₹ 46.41 करोड़ संग्रहित किये। तथापि, इन कम्पनियों ने किराया प्रभारों पर वेट का भुगतान नहीं किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणियों को स्वीकारते समय गलतियों का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 5.80 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2.37 करोड़ की अवसूली रही।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV एवं V के अनुसार बियरिंग के विक्रय पर चार प्रतिशत तथा ग्रीस पर 12.5 प्रतिशत कर देय है।

2.9.8.3 विशेष-1 वृत्त जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स बियरिंग एण्ड बियरिंग जयपुर) बियरिंग, ग्रीस एवं ऑयल के लिये पंजीकृत था। वेट

³ वृत्त: विशेष-III जयपुर, विशेष-1 जयपुर, विशेष राजस्थान जयपुर, वर्क्स कर जोधपुर एवं विशेष-1 भिवाड़ी।

⁴ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनियां)।

विवरणियों और व्यवहारी से प्राप्त वर्ष 2008-09 के व्यापार खाता की जांच में पाया गया कि व्यवहारी ने बियरिंग के अतिरिक्त ₹ 35.85 लाख⁵ मूल्य के ग्रीस एवं ऑयल की बिक्री की थी, लेकिन 12.5 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत से कर चुकाया। परिणामस्वरूप कर ₹ 3.05 लाख कम जमा हुए। इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 0.92 लाख एवं शास्ति ₹ 6.09 लाख भी वसूलनीय थे।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 4 की उपधारा (7) के अन्तर्गत कोई पंजीकृत व्यवहारी, जो राज्य में ऐसा माल आयात करता है या निर्माण करता है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर देय कर के स्थान पर ऐसे माल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर (एम.आर.पी.) निर्धारित दर से कर चुकाने का अपना विकल्प दे सकता है।

31 मार्च 2006 को राज्य सरकार द्वारा ड्रग एवं मेडिसिन को ऐसा माल अधिसूचित किया, जिस पर यह विकल्प दिया जा सकता है।

2.9.8.4 वृत्त विशेष राजस्थान, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (फरवरी 2012) कि एक व्यवहारी (मैसर्स रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड) जो दवाईयों का व्यवसायी है, ने अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर चुकाने का विकल्प लिया था। व्यवहारी ने वर्ष 2008-09 में ₹ 7.74 करोड़ मूल्य की दवाईयों की मुफ्त योजना (सेम्पल, बोनस गुड्स एवं रिप्लेसमेन्ट) के अन्तर्गत आपूर्ति की किन्तु कर का

भुगतान नहीं किया। यद्यपि, वे क्रेताओं को आपूर्ति किये गये सम्पूर्ण माल पर कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी थे। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (नवम्बर 2010) मुफ्त योजना/ रिप्लेसमेन्ट के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा आपूर्ति की गई राशि ₹ 7.74 करोड़ की दवाईयों पर कर नहीं वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 30.96 लाख एवं ब्याज ₹ 9.29 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

इसे ध्यान में लाने के बाद, सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2012) कि मुफ्त योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये माल पर पहले ही कर चुका दिया गया था। जवाब उचित नहीं है क्योंकि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ने विवरणियों के साथ संलग्न वेट ऑडिट रिपोर्ट के 'नोट' में स्पष्ट इंगित किया था कि व्यवहारी ने सेम्पल, बोनस गुड्स एवं रिप्लेसमेन्ट पर वेट का भुगतान नहीं किया था।

यह सिफारिश की जाती है कि रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 23 एवं 24 के अन्तर्गत विवरणियों को स्वीकार करते समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के वार्षिक

⁵ ग्रीस का न्यूनतम विक्रय मूल्य ₹ 43.36 लाख आता है। (प्रारम्भिक स्टॉक ₹ 9.25 लाख + खरीद ₹ 44.29 लाख - अन्तिम स्टॉक ₹ 10.18 लाख)। छुपाये गये ग्रीस की कीमत ₹ 35.85 लाख (न्यूनतम विक्रय मूल्य ₹ 43.36 लाख - ट्रेडिंग एकाउन्ट में दर्शाई बिक्री ₹ 9.54 लाख + 6 प्रतिशत लाभ ₹ 2.30 लाख जैसाकि लेखापरीक्षा में गणना की गई)

लेखों/ऑडिट रिपोर्टों को प्राप्त करने एवं उनकी जांच करने के लिये विभाग निर्धारण अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करे ।

2.9.9 विभाग में सामन्जस्य की कमी

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 75 के अनुसार, एक निर्धारण अधिकारी को व्यवहारी के व्यवसाय के स्थान के निरीक्षण का अधिकार है।

विशेष वृत्त-IV जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड) का दिनांक 11.2.2009 को प्रतिकरापवंचन-1 राजस्थान वृत्त, जयपुर द्वारा सर्वे किया गया

था। सर्वे टीम ने पाया कि कम्पनी ने डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकॉस्टिंग सर्विसेज के लिये सेट टॉप बॉक्स के विक्रय के दौरान हैण्ड स्टेन्ड, केबल, कन्डक्टर इत्यादि, जोकि एक्टिवेशन हार्डवेयर कहलाते हैं, के प्रति उपभोक्ता ₹ 1000 प्राप्त किये लेकिन एक्टिवेशन हार्डवेयर पर कर का भुगतान नहीं किया गया।

प्रतिकरापवंचन-1 राजस्थान वृत्त, जयपुर ने अप्रैल 2008 से जनवरी 2009 की अवधि के लिये कर निर्धारण को अन्तिम रूप (जनवरी 2010) देते समय 96,242 सेट टॉप बॉक्सेज के साथ आपूर्ति किये गये एक्टिवेशन हार्डवेयर पर शास्ति सहित कर आरोपित किया। तथापि, विशेष वृत्त-IV, जयपुर में व्यवहारी के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, उसने वर्ष 2008-09 के दौरान 1,15,098 सेट टॉप बॉक्सेज का विक्रय किया था। लेकिन बचे हुए 18,856 सेट टॉप बॉक्सेज के साथ आपूर्ति किये गये एक्टिवेशन हार्डवेयर पर कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ मूल्य के एक्टिवेशन हार्डवेयर, जो 18,856 सेट टॉप बॉक्सेज के साथ आपूर्ति किये गये थे, के विक्रय पर कर ₹ 16.50 लाख के अतिरिक्त ब्याज ₹ 4.95 लाख एवं शास्ति ₹ 33 लाख का कम आरोपण हुआ।

2.9.10 विक्रय का कार्य संविदा के रूप में गलत वर्गीकरण एवं कर मुक्ति शुल्क का कम आरोपण

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 के अनुसूची-V के अनुसार, एयर कन्डीशनर एवं इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है एवं अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2006 के अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर पर कार्य संविदा के टर्नओवर पर कर मुक्ति शुल्क देय है।

2.9.10.1 तीन वृत्तों⁶ के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 में चार

व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य) एयर कन्डीशनिंग प्लान्ट एवं बी.ई.आर. इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की आपूर्ति एवं स्थापन करने से सम्बन्धित ₹ 6.41 करोड़ के टर्नओवर को कार्य

⁶ वृत्त- विशेष-1 जयपुर, विशेष राजस्थान जयपुर एवं वक्स कर जोधपुर।

संविदा माना एवं कर मुक्ति शुल्क ₹ 17.73 लाख आरोपित किया। व्यवहारी एयर कन्डीशनर एवं इलेक्ट्रॉनिक मीटर के विक्रय हेतु पंजीकृत थे एवं ऐसे माल की आपूर्ति एवं स्थापना के लिये ऐसी संविदा विक्रय है, जिसमें मुख्य घटक को अन्तिम उत्पाद में बदलने के लिये मजदूरी घटक का नाममात्र का उपयोग हुआ था। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 62.35 लाख एवं ब्याज ₹ 18.95 लाख का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2006 से कार्य संविदा के निष्पादन में संलग्न पंजीकृत व्यवहारियों को कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल के रूप में सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर आरोपणीय कर में इस शर्त पर छूट प्रदान की कि निर्धारण अधिकारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं ऐसा व्यवहारी निम्नानुसार दर से कर मुक्ति शुल्क का भुगतान करेगा:

क्र. सं.	सम्बन्धित कार्य संविदा का विवरण	कर मुक्ति शुल्क की दर (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)
1.	बिल्डिंग, सड़कें, पुल, बांध एवं सीवरेज सिस्टम	1.50 प्रतिशत
2.	पी.एस.पी.ओ., वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, मेटेरियल सहित पाईप लाईन बिछाने सहित प्लान्टों एवं मशीनरी की स्थापना	2.25 प्रतिशत
3.	कोई अन्य प्रकार की कार्य संविदा	3.00 प्रतिशत

2.9.10.2 वर्क्स कर वृत्त, अलवर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, अलवर) ने वर्ष 2007-08 में कार्य संविदा का निष्पादन किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 61.08 करोड़, जैसा कि विवरणियों में दर्शाया था, के बजाय ₹ 56.03 करोड़ के टर्नओवर पर कर मुक्ति शुल्क का निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप कर मुक्ति शुल्क ₹ 11.35 लाख एवं ब्याज ₹ 4.77 लाख का कम आरोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाने के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अवगत कराया (सितम्बर 2012) कि ₹ 16.87 लाख की मांग कायम कर दी गई।

2.9.10.3 वर्क्स कर वृत्त, अलवर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, अलवर) ने वर्ष 2008-09 के दौरान पावर प्लान्ट एवं सीमेन्ट प्लान्ट के निर्माण से सम्बन्धित कार्य संविदा का निष्पादन किया था। निर्धारण अधिकारी द्वारा

व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर मुक्ति शुल्क 2.25 प्रतिशत के स्थान पर 1.50 प्रतिशत की दर से निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप कर मुक्ति शुल्क ₹ 11.68 लाख एवं ब्याज ₹ 3.50 लाख का कम निर्धारण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद निर्धारण अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2012) कि ₹ 12.70 लाख की मांग कायम कर दी गई।

2.9.11 आगत कर क्रेडिट (आई.टी.सी.)

2.9.11.1 आगत कर क्रेडिट की अधिक स्वीकृति

तीन वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि पाँच व्यवहारियों को या तो आई.टी.सी. देय नहीं थी या उनको देय आई.टी.सी. से अधिक का दावा किया गया, तथापि, कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों द्वारा त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार ₹ 1.30 करोड़ की आई.टी.सी. एवं ब्याज ₹ 53.22 लाख अधिक स्वीकृत हुए।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(1) के अनुसार, पंजीकृत व्यवहारियों को, उक्त उप धारा में बताये गये प्रयोजन हेतु राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये करयोग्य माल पर आई.टी.सी. देय होगा। तथापि, यदि क्रय किये गये माल का आंशिक उपयोग, उप धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये तथा आंशिक उपयोग अन्यथा किया गया हो तो, आई.टी.सी. आनुपातिक आधार पर देय होगा तथा बिना बिके पूंजीगत माल पर देय नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(33) के अनुसार, आई.टी.सी. का वह भाग जो धारा 18 के प्रावधानों के विरुद्ध है, को रिवर्स करना होगा।

(i) प्रतिकरापवंचन-11 राजस्थान वृत्त, जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर) द्वारा वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान क्रय किये गये सिलेन्डरों, जिनको स्टोर करने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) का ट्रान्सपोर्ट करने के काम में लिये जाते थे, पर आई.टी.सी. का दावा किया गया था। यद्यपि, ये सिलेन्डर पैकिंग मेटेरियल है, लेकिन आई.टी.सी. का लाभ देय नहीं था क्योंकि

वितरकों को सिलेन्डर एल.पी.जी. सहित नहीं बेचे गये थे एवं उपभोक्ताओं द्वारा एल.पी.जी. गैस का उपभोग करने के बाद वितरकों द्वारा वापस लौटा दिये गये थे एवं ऑयल कम्पनी के वार्षिक लेखों के अनुसार सिलेन्डरों को स्थायी सम्पत्तियों के रूप में दर्शाया जा रहा था एवं इन पर मूल्यहास लिया जा रहा

था। चूंकि सिलेन्डरों पर स्वामित्व, व्यवहारी (ऑयल कम्पनी) का था। अतः धारा 18(1) के अनुसार इन स्थायी सम्पत्तियों पर आई.टी.सी. देय नहीं थी। ब्याज ₹ 45.93 लाख सहित तीन वर्षों की आई.टी.सी. राशि ₹ 1.10 करोड़ रिवर्स की जानी आवश्यक है।

(ii) एक व्यवहारी (मैसर्स विशाल रिटेल स्टोर लिमिटेड, जयपुर) ने 2008-09 के दौरान क्रय किये गये माल ₹ 15.12 करोड़ पर ₹ 1.07 करोड़ की आई.टी.सी. का दावा किया। निर्धारण अधिकारी प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान वृत्त, जयपुर ने माल की खरीद वापसी ₹ 39.18 लाख पर ₹ 3.39 लाख की आई.टी.सी. रिवर्स की एवं ₹ 14.73 करोड़ के माल की खरीद पर ₹ 1.03 करोड़ की आई.टी.सी. स्वीकृत की गई।

तथापि, वेट ऑडिट रिपोर्ट की जांच में हमने पाया कि व्यवहारी ने राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से ₹ 13.37 करोड़ की खरीद ही दर्शाई थी। अतः राशि ₹ 1.36 करोड़⁷ के माल पर आई.टी.सी. ₹ 5.43 लाख देय नहीं थी तथा उसे रिवर्स करना चाहिए था। निर्धारण अधिकारी की गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 लाख की आई.टी.सी. अधिक स्वीकृत हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज के ₹ 1.63 लाख भी आरोपणीय थे।

(iii) विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स ओम मेटल्स ऑटो प्रा.लि., जयपुर) द्वारा 2008-09 के दौरान ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के माल पर आई.टी.सी. का दावा किया। वेट ऑडिट रिपोर्ट की जांच में यह पाया गया कि व्यवहारी ने राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से ₹ 50.52 लाख का माल ही क्रय किया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 73.48 लाख मूल्य के माल पर कर ₹ 9.23 लाख को रिवर्स नहीं किया। उक्त के अतिरिक्त ब्याज ₹ 2.77 लाख भी आरोपणीय था।

(iv) वृत्त सी, जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स गरिमा गम इण्डस्ट्रीज, जयपुर) ने 2006-07 के दौरान ₹ 9.39 करोड़ की ग्वार निर्माण प्रक्रिया में 'ग्वार' उपयोग में ली गई एवं 'ग्वार' राशि ₹ 7.51 करोड़ की खरीद पर ₹ 30.02 लाख की आई.टी.सी. का दावा किया गया। व्यवहारी के वेट ऑडिट रिपोर्ट एवं व्यापार खाता की जांच में पाया कि व्यवहारी ने माल के कुल विक्रय राशि ₹ 10.30 करोड़ में से राशि ₹ 6.76 करोड़ के करयोग्य माल का विक्रय किया था। इस प्रकार, व्यवहारी ने केवल ₹ 6.16 करोड़ के माल का उपभोग किया। साथ ही ₹ 30.02 लाख के बजाय आनुपातिक आधार पर ₹ 24.66 लाख की ही आई.टी.सी. देय थी। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 5.36 लाख की आई.टी.सी. अनियमित स्वीकृत की गई। उक्त के अतिरिक्त ब्याज ₹ 2.89 लाख भी आरोपणीय था।

⁷ (₹14.73 करोड़ - ₹ 13.37 करोड़)

इसे ध्यान में लाये के जाने के बाद सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 8.01 लाख (कर ₹ 5.52 लाख एवं ब्याज ₹ 2.49 लाख) की मांग कायम कर दी गई है। वसूली के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई (नवम्बर 2012)।

(v) सत्यापन के बिना आई.टी.सी. स्वीकृत करना

रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(2) के अनुसार, मूल वेट इनवाइस के आधार पर जमा कर, ऐसी इनवाइस के जारी होने के तीन माह बाद आई.टी.सी. का दावा स्वीकार किया जायेगा। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, के परिपत्र दिनांक 1 सितम्बर 2009 से भी निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसा क्रेडिट स्वीकृत करते समय आई.टी.सी. सत्यापित की जावे।

चयनित वृत्तों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा व्यवहारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय वेट इनवाइस के अनुसार कर के जमा का, पूर्व सत्यापन किये बिना ही आई.टी.सी. दावा स्वीकृत कर दिया गया।

इसे ध्यान में लाये जाने पर, विभाग ने समापन बैठक के दौरान अवगत कराया कि आई.टी.सी. दावों के सत्यापन के लिये एक समाशोधन गृह बनाया गया है। सभी व्यवहारियों के लिये 1 अप्रैल 2012 से ऑनलाइन विवरणियाँ दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आई.टी.सी. का ऑनलाइन सत्यापन होगा।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग निर्धारण अधिकारियों को निर्देश करे कि पहले कर चुकाने का सत्यापन एवं क्रय किये गये माल का वास्तविक उपयोग होने के बाद आई.टी.सी. स्वीकृत करे।

2.9.12 सब्सिडी एवं कर का आस्थगन/छूट से सम्बन्धित योजनायें

राज्य में नये औद्योगिक निवेश के लिये और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु, राज्य सरकार ने रा.बि.क./के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न बिक्री कर छूट एवं आस्थगन योजना, 1987, 1989 एवं 1998 में एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (आर.आई.पी.एस.) को अधिसूचित किया। आगे, रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 की धारा 20(3) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2006 को अधिसूचना जारी करके इन योजनाओं के अन्तर्गत कर में छूट का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा देय कर के भुगतान को आस्थगित करने की अनुमति दी गई थी। सब्सिडी एवं कर के आस्थगन को अधिक स्वीकृति से सम्बन्धित कुछ अनियमिततायें नीचे दर्शायेनुसार जानकारी में आयी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (आर. आई.पी.एस.) के अनुच्छेद 7(i)(बी) सपठित अनुच्छेद 7 के परन्तुक एवं अनुच्छेद 7(ii) के अनुसार आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु जारी ऋण पर पाँच प्रतिशत की दर से चुकाये गये ब्याज की सब्सिडी देय होगी जो कि यूनिट द्वारा देय या जमा रा.बि.क./वेट एवं के.बि.क. की पूर्व के तीन वर्षों में किसी भी वर्ष (आधार वर्ष) अधिकतम देय कर या जमा से अधिक अतिरिक्त राशि की अधिकतम 75 प्रतिशत होगी। आगे, किसी भी शर्त के उल्लंघन पर सब्सिडी दिये जाने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित सब्सिडी राशि को कर के रूप में वसूला जायेगा।

आधार वर्ष⁸ स्वीकार किया। यह पाया गया कि आधार वर्ष को निर्धारण के दौरान उस वर्ष की छूट की राशि को नहीं जोड़ा गया था। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, छूट राशि जिस पर कर ₹ 7.35 करोड़ देय थे, के शामिल करने के बाद व्यवहारी का आधार वर्ष 2001-02⁹ था। इस प्रकार व्यवहारी ₹ 10.69 करोड़ के स्थान पर ₹ 8.19 करोड़ की सब्सिडी लेने का हकदार था। इसके परिणामस्वरूप सब्सिडी ₹ 2.50 करोड़ एवं ब्याज ₹ 67.48 लाख अधिक दिये गये।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिये ₹ 1.89 करोड़ की मांग कायम कर दी गई थी एवं शेष अवधि के लिये नोटिस जारी कर दिया गया था।

उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 सपठित अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार, किसी औद्योगिक इकाई को बिक्री कर छूट एवं आस्थगन का लाभ ₹ 4.00 करोड़ तक सीमित था।

2.9.12.1 वृत्त विशेष राजस्थान, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स डी.सी.एम. श्रीराम कन्सोलिडेटेड लिमिटेड, जयपुर) को इकाई के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिये 2008-09 से 2010-11 के दौरान सब्सिडी स्वीकृत की गई। निर्धारण अधिकारी ने, जिसमें कर राशि ₹ 6.03 करोड़ थी, 2003-04 को गलती से

2.9.12.2 वृत्त सी, जयपुर के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि एक निर्माता इकाई (मैसर्स ऋषभ कम्प्यूट्रोनिक्स लिमिटेड, जयपुर)

⁸ पिछले तीन वर्षों में देय कर एवं कर मुक्ति राशि सहित ₹ 7.35 करोड़, ₹ 6.59 करोड़, एवं ₹ 7.18 करोड़ क्रमशः वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में देय थे। इसके अनुसार वर्ष 2001-02 के लिये कर राशि ₹ 7.35 करोड़ अधिकतम थी और इस वर्ष की राशि को आधार वर्ष की राशि के रूप में लेना चाहिए था न कि ₹ 6.03 करोड़ की कर राशि को।

⁹ पिछले तीन वर्षों में देय कर एवं कर मुक्ति राशि सहित ₹ 7.35 करोड़, ₹ 6.59 करोड़, एवं ₹ 7.18 करोड़ क्रमशः वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में देय थे। इसके अनुसार वर्ष 2001-02 के लिये कर राशि ₹ 7.35 करोड़ अधिकतम थी और इस वर्ष की राशि को आधार वर्ष की राशि के रूप में लेना चाहिए था न कि ₹ 6.03 करोड़ की कर राशि को।

को 2005-06 से 2008-09 तक ₹ 9.81 करोड़ की कर में छूट एवं आस्थगन का लाभ दिया गया था।

कर निर्धारण आदेशों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यवहारी ने अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अन्तर्गत आस्थगन लाभ का विकल्प लिया था एवं इस प्रकार अधिकतम ₹ 4.00 करोड़ की कर मुक्ति/आस्थगन के लिये पात्र था। निर्धारण अधिकारी ने गलत ढंग से ₹ 9.81 करोड़ तक का आस्थगन लाभ स्वीकृत कर दिया था अर्थात् ₹ 5.81 करोड़¹⁰ के कर का आस्थगन एवं ₹ 1.88 करोड़ का ब्याज अधिक दिया गया।

इसे ध्यान में लाये जाने पर, सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 8.62 करोड़ (कर ₹ 5.81 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2.81 करोड़) की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (नवम्बर 2012)।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 से या तो उद्योगों के लिये बिक्री कर नई प्रोत्साहन योजना (प्रोत्साहन योजना), 1989 या रा.बि.क./के.बि.क. उद्योगों के लिये छूट योजना, 1998 के अन्तर्गत छूट का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा देय कर के भुगतान को आस्थगित करने की अनुमति प्रदान की। आगे, रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अनुसार, 'व्यवहारी द्वारा देय कर' से तात्पर्य आउटपुट कर की राशि में से आई.टी.सी. की राशि कम करना है।

2.9.12.3 आठ वृत्तों¹¹ के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय 11 व्यवहारियों को आउटपुट कर में से आई.टी.सी. ₹ 1.84 करोड़ को घटाये बिना ही ₹ 3.06 करोड़ का कर का आस्थगन स्वीकृत किया गया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.84 करोड़ के कर का आस्थगन एवं ब्याज ₹ 66.38 लाख अधिक स्वीकृत कर दिया गया।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि वृत्त 'जे', जयपुर एवं वृत्त विशेष-1, भिवाड़ी के मामलों में ₹ 1.19 करोड़ की मांग कायम कर दी गई।

2.9.12.4 विशेष राजस्थान वृत्त, जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला ब्रेवरीज प्रा.लि., जयपुर) उद्योगों के लिये बिक्री कर योजना/केन्द्रीय बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 (प्रोत्साहन योजना) के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त कर रहा था। व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का 22.07.2006 को सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि व्यवहारी ने 12.5 प्रतिशत की दर से कर का संग्रहण किया था परन्तु राजकीय लेखों में 6.25 प्रतिशत की दर

¹⁰ 2007-08 में ₹ 1.17 करोड़ एवं 2008-09 में ₹ 4.64 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.88 करोड़।

¹¹ वृत्त: जे-जयपुर, विशेष-1 भिवाड़ी, सी-जयपुर, बी-जोधपुर, सीकर, सी-जोधपुर, विशेष-1 भिवाड़ी एवं विशेष-5 जयपुर।

से जमा कराया। सर्वे के आधार पर, निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 अप्रैल 2006 से 15 जुलाई 2006 तक की अवधि के लिये कर ₹ 2.24 करोड़, ब्याज ₹ 4.91 लाख एवं शास्ति ₹ 2.24 करोड़ निर्धारित की।

व्यवहारी ने उच्च न्यायालय में निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2009 से शास्ति को न्यायोचित नहीं माना एवं 09.10.2006 को पारित, कर निर्धारण आदेश को निरस्त एवं सेट एसाइड कर दिया एवं राज्य सरकार को निर्देशित किया कि निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्ति की दिनांक से छः माह के भीतर प्रोत्साहन योजना को लागू करने के तरीके की घोषणा करे। उच्च न्यायालय में आगे ओर आदेश दिया कि राजस्थान राज्य द्वारा तरीके की घोषणा करने के बाद ही विभाग व्यवहारी के विरुद्ध कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने हेतु स्वतन्त्र होगा एवं कर निर्धारण आदेश कानून के अनुरूप होगा तथा राज्य द्वारा घोषित ऐसे तरीके के अनुरूप होगा।

न्यायालय के आदेश की अनुपालना में, निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.06.2009 द्वारा 01 अप्रैल 2006 से 15 जुलाई 2006 तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण मांग को मांग एवं संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) से हटा दिया। राज्य सरकार ने प्रोत्साहन योजना को लागू करने के तरीके को स्वीकार करने के लिये दिनांक 21 अगस्त 2009 को स्पष्टीकरण जारी किया। यद्यपि, हमने यह पाया (मार्च 2012) कि निर्धारण अधिकारी द्वारा कर का पुनः निर्धारण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 2.24 करोड़ एवं ब्याज ₹ 13.25 करोड़ की मांग कायम नहीं हो पायी।

इसे ध्यान में लाये जाने पर, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि संशोधित निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया। तथापि, आरोपित मांग की राशि एवं वसूली की स्थिति से अवगत नहीं कराया गया था।

2.9.12.5 आस्थगन मामलों से सम्बन्धित अभिलेखों के संधारण का अभाव

यह पाया गया कि व्यवहारी-वार कर की आस्थगन राशि एवं आस्थगित की गई कुल कर की राशि की स्थिति विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। मापक जांच किये गये 11 वृत्तों¹² की जांच में यह पाया गया कि 2010-11 तक 43 मामलों में ₹ 318.37 करोड़ के कर की राशि को आस्थगित किया गया था। आगे, यह भी पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा आस्थगित कर ₹ 318.37 करोड़ की मांग को (डी.सी.आर.) में दर्ज नहीं किया था। लेखापरीक्षा में यह तथ्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वसूली हेतु मांगों पर निगरानी की जा रही थी।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि आस्थगित कर की प्राप्ति पर निगरानी के लिये वृत्तों द्वारा एक विशेष रजिस्टर संधारित किया जा रहा था।

¹² वृत्त: विशेष-III जयपुर, विशेष-I भिवाड़ी, विशेष अजमेर, विशेष राजस्थान जयपुर, सीकर, विशेष-I जयपुर, सी-जयपुर, बी-जोधपुर, विशेष अलवर, जी-जयपुर, जे-जयपुर।

तथापि, यह देखा गया कि आस्थगित कर की निगरानी के लिये वृत्तों द्वारा संधारित किये गये ऐसे रजिस्टर को निर्धारण अधिकारियों द्वारा ना तो अद्यतन थे और ना ही सत्यापित किये गये। इसके अतिरिक्त, आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार डी.सी.आर. संधारित किया जाना था, किन्तु इसके संधारण नहीं करने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर के सामयिक भुगतान पर निगरानी नहीं रखी गई।

सरकार ने समापन बैठक के दौरान बिन्दु को स्वीकार किया और अवगत कराया कि डी.सी.आर. के संधारण सहित आस्थगित कर के विवरणों को दर्ज करने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग आस्थगित कर के विवरणों को डी.सी.आर. में अंकित करे ताकि इसकी सही स्थिति और समय पर भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके।

2.9.13 केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण एवं संग्रहण

2.9.13.1 कर निर्धारण के बाद घोषणा पत्र स्वीकार करना

के.बि.क. (रजिस्ट्रेशन एण्ड टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार, कर से मुक्ति/रियायत का दावा करने के लिये 'सी' प्रपत्र या 'एफ' प्रपत्र या प्रपत्र ई-1/ई-1A प्रपत्रों में घोषणा प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी को, जिस अवधि से सम्बन्धित घोषणा या प्रमाण पत्र है, की समाप्ति के पश्चात तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे।

सात वृत्तों¹³ में 16 व्यवहारियों के कर निर्धारणों अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारियों ने अन्तरराज्यीय बिक्री जो कि अवधि 2010-11 के दौरान निर्धारित घोषणाओं से समर्थित नहीं थी, पर ब्याज के ₹ 8.54 करोड़ सहित ₹ 46.74 करोड़ की मांग कायम की गई। तथापि, इन

व्यवहारियों द्वारा घोषणा पत्रों के प्रस्तुत करने पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा मांग कम कर दी गई। प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण को अन्तिम रूप देने के बाद मांग में कमी करना सही नहीं था।

इसके परिणामस्वरूप व्यवहारियों को कर ₹ 38.20 करोड़ एवं ब्याज ₹ 8.54 करोड़ की अनियमित रियायत/छूट प्राप्त हुई।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि के.बि.क.(रजिस्ट्रेशन एण्ड टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी अपनी सन्तुष्टि के बाद और समय दे सकता है। जवाब उचित नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारियों

¹³ वृत्त:विशेष-1A जयपुर, विशेष-1 जयपुर, विशेष अलवर विशेष राजस्थान जयपुर, ई-जयपुर, टोंक एवं बक्रम कर-1, जयपुर।

द्वारा कर निर्धारण अन्तिम रूप से कर दिया गया था एवं कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देने के बाद प्रपत्रों को स्वीकारना सही नहीं था।

विभाग, निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारणों को उनके द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने के बाद घोषणा पत्रों को स्वीकार न करने हेतु निर्देशित करे।

2.9.13.2 माल के स्थानान्तरण पर कर में अनियमित छूट देना

के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 6(ए)(1) के अनुसार, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का संचालन 'एफ' प्रपत्र से समर्थित नहीं होता है, तो इसे विक्रय माना जायेगा एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहारी कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रतिकरापवंचन-11, राजस्थान वृत्त, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर) ने वर्ष 2008-09 में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वेत ऑडिट रिपोर्ट में ₹ 6.94 करोड़ का शाखा स्थानान्तरण दर्शाया था। व्यवहारी

ने कर में छूट प्राप्त करने के लिये केवल ₹ 6.10 करोड़ मूल्य के माल के लिये 'एफ' घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किये। इस प्रकार ₹ 84.28 लाख का शेष शाखा स्थानान्तरण घोषणा प्रपत्र 'एफ' से समर्थित नहीं था और इस पर कर आरोपणीय था। यह निर्धारण अधिकारी के ध्यान से छूट गया, परिणामस्वरूप ₹ 10.54 लाख की अनियमित छूट दे दी गई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.16 लाख का ब्याज भी आरोपणीय था।

2.9.13.3 अवैध प्रपत्रों पर अनियमित छूट प्रदान करना

के.बि.क. (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(1) सपठित नियम 21(9)(बी) के अनुसार दो समान व्यवहारियों के मध्य वित्तीय वर्ष की तिमाही में हुए बिक्री के सभी लेन-देन एक ही घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं ई.1/11 से सन्दर्भित होंगे।

वृत्त वर्क्स कर, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट लिमिटेड, जोधपुर) ने के.बि.क. अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत 2008-09 के दौरान ₹ 9.94 करोड़ के माल की बिक्री की। घोषणा पत्रों की जांच में पाया

गया कि व्यवहारी ने ₹ 8.37 करोड़ का एक ई-1 प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें दो तिमाहियों के लेन-देन शामिल थे (दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009 को समाप्त तिमाहियों के)।

निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2012) एक तिमाही के बजाय दो तिमाहियों के लेन-देनों को स्वीकार

किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 लाख के ब्याज सहित कर ₹ 5.38 लाख¹⁴ की अनियमित छूट दी गई।

2.9.13.4 अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी, जो अन्तरराज्यीय व्यापार के दौरान अन्य पंजीकृत व्यवहारी को माल का बिक्रय करता है, 1 अप्रैल 2007 से 31 मई 2008 तक तीन प्रतिशत तथा उसके पश्चात् दो प्रतिशत की रियायती दर से कर का भुगतान करेगा, यदि विक्रयकर्ता व्यवहारी बिक्री के समर्थन में प्रपत्र 'सी' में घोषणा प्रस्तुत करता है, अन्यथा राज्य के भीतर उक्त माल के क्रय या विक्रय पर उस पर देय दरों से कर आरोपणीय है। रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V के अनुसार, इलेक्ट्रीक माल पर 12.5 प्रतिशत की दर से वेट आरोपणीय है।

विशेष वृत्त, अलवर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स ध्रुव इलेक्ट्रीकल्स, अलवर) ने अन्तरराज्यीय व्यापार के दौरान विक्रय के समर्थन में प्रपत्र 'सी' दिए बिना ₹ 73.77 लाख का इलेक्ट्रीक माल बेचा। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अक्टूबर 2010) 12.5 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.27 लाख के कर का तथा ₹ 2.38 लाख के ब्याज का अवनिर्धारण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, (दिसम्बर 2011) निर्धारण अधिकारी ने सूचित किया (दिसम्बर 2011) कि ₹ 8.65 लाख की मांग कायम कर दी गई। यद्यपि, वसूली की स्थिति प्रतिक्षित है (नवम्बर 2012)।

¹⁴ घोषण-पत्र एक तिमाही के लिये ही स्वीकार्य था। वो तिमाही जिसकी तुलनात्मक रूप में कम राशि अर्थात् ₹ 1.04 करोड़ थी, के लिये स्वीकार्य नहीं था।

2.9.14 नियमों एवं अधिसूचनाओं में प्रावधानों की कमी

2.9.14.1 कर में छूट के लिये प्रावधानों में कमी

रा.मू.प. कर नियम, 2006 के नियम 21 के अनुसार एक व्यवहारी माल के विक्रय पर कर के भुगतान हेतु आंशिक या पूरी छूट का दावा कर सकता है:

(अ) राज्य के अन्य व्यवहारी को घोषणा-पत्र/प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित अधिसूचना/नियमों के अन्तर्गत अपनी विवरणी के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है;

(ब) भारतीय सीमा के बाहर निर्यात के क्रम में, अपनी विवरणी के साथ, प्रपत्र वेट-15, जो पूरी तरह भरा हुआ एवं निर्यातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह पाया गया कि रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने समय-समय पर अधिसूचनायें जारी कर घोषणा पत्रों के प्रस्तुत करने पर क्रेता व्यवहारियों को माल के क्रय पर नीचे दर्शायेनुसार, कर के भुगतान से पूरी/आंशिक छूट प्रदान की गई:

क्र. सं.	व्यवहारियों की श्रेणी	अधिसूचना की दिनांक	छूट की शर्त
1.	निर्माता व्यवहारी द्वारा पूंजीगत माल की खरीद	27.08.2008	रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पूंजीगत माल, उनके पार्ट्स एवं एसेसरीज के रूप में उपयोग।
2.	बी.एस.एफ. कैटीन	25.05.2009	फोर्स के सदस्यों को ही विक्रय हेतु खरीद की गई।
3.	सेन्ट्रल एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं केमिकल्स के उपकरण	08.07.2009	सेन्ट्रल एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के ही उपयोग किये जाने हेतु।
4.	हेण्डिक्राफ्ट के निर्माताओं द्वारा टिम्बर की खरीद	30.07.2009	राज्य में हेण्डिक्राफ्ट के निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में उपयोग किये जाने हेतु।

यह पाया गया कि विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी, जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि माल का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था, जिस उद्देश्य के लिए व्यवहारी द्वारा खरीद गयी थी। आगे, घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग के मामले में शास्ति आरोपण का कोई प्रावधान नहीं था।

सरकार/विभाग ने समापन बैठक के दौरान अवगत कराया कि वेट ऑडिट रिपोर्ट के फोरमेंट में प्रावधान शामिल किये जा रहे हैं।

2.9.14.2 व्यक्तिगत व्यवहारियों के फायदे के लिये छूट की अधिसूचनाओं से लगातार ढील देना

राज्य सरकार समय-समय पर 'जनहित' में रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 एवं के.बि.क. अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अधिसूचनायें जारी करने में सक्षम है। यह पाया गया कि कुछ अधिसूचनायें 'जनहित' में व्यक्तिगत व्यवहारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ पहुँचाने के लिये की गईं। यद्यपि, सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये। अभिलेखों के अभाव में छूट के लिये मूल आवश्यकता, आधार, कार्यप्रणाली/प्रणाली, अतिरिक्त छूट स्वीकृत करने के कारण एवं राज्य सरकार एवं राज्य की जनता को वृहत स्तर पर इसके उत्तरोत्तर लाभ को सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं थी। कुछ प्रकरण आगामी अनुच्छेदों में वर्णित हैं।

विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप धारा (5) में अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने मैसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनी) को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में राज्य में कोटा में अवस्थित टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स की सभी पाँचों यूनिटों में निर्मित पी.ओ.वाई., पी.के.टी चिप्स, पी.एस.एफ. एक्रेलिक फाईबर, नाइलोन यार्न, मिथेनोल, टायर कोर्ड यार्न एवं फेब्रिक्स के विक्रय पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय कर 0.50 प्रतिशत से अधिक के कर को कुछ शर्तों के साथ माफ कर दिया (06.05.2006)। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना को दो बार संशोधित कर दिया गया, एवं नीचे विवरणिका में दर्शायेनुसार मूल अधिसूचना में अंकित शर्तों में ढील दी गई:

शर्तें	मूल अधिसूचना दिनांक 6 मई 2006	अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2006	अधिसूचना दिनांक 20 अगस्त 2009
निवेश	31 मार्च 2007 तक ₹ 80.00 करोड़ का कुल निवेश करना	31 मार्च 2009 तक ₹ 80.00 करोड़ का कुल निवेश करना	31 मार्च 2009 तक ₹ 50.00 करोड़ का निवेश करना
प्रत्यक्ष रोजगार	31 मार्च 2007 तक 2000 व्यक्तियों की सीधी भर्ती करना	31 मार्च 2009 तक 500 व्यक्तियों की सीधी भर्ती करना	31 मार्च 2013 तक 500 व्यक्तियों की सीधी भर्ती करना
परिसम्पत्तियों का उपयोग	पिछले सात वर्षों से अनुपयोगी रही परिसम्पत्तियों का उपयोग करना	पिछले सात वर्षों की 31 मार्च 2009 तक सम्पत्तियों का उपयोग करना	पिछले सात वर्षों की 31 मार्च 2013 तक सम्पत्तियों का उपयोग करना

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि कर में छूट प्राप्ति के लिये विभाग शर्तों में ढील देता रहा। इन ढीलों के देने के कारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इस सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये। इस अधिसूचनाओं

के द्वारा व्यवहारी को स्वीकृत कर में छूट का पता लगाना सम्भव नहीं था। तथापि, व्यवहारी अधिसूचना में दी गई शर्तों को पूरी करने में प्रत्येक बार असफल रहा।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग यह:

- सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करे कि माल का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जा रहा जिसके लिये छूट/रियायत दी गई है। घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग के मामलों में शास्ति आरोपित करने के प्रावधान करे।
- छूट देने वाली अधिसूचना में मूल आवश्यकताओं को और अधिक पारदर्शी बनाया जावे तथा उनमें नई अधिसूचनाएं जारी कर बार-बार परिवर्तन नहीं किया जावे।

2.9.15 आन्तरिक नियन्त्रण

2.9.15.1 डी.सी.आर. में से मांग को हटाना

यह पाया गया है कि वर्तमान वर्ष के डी.सी.आर. में निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया मांग की सभी प्रविष्टियों को अग्रेषित कर दिया था, पर निगरानी रखने के लिये कोई नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी। उदाहरणार्थ एक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

प्रतिकरापवंचन-1, राजस्थान वृत्त, जयपुर के डी.सी.आर. की मापक जांच में पाया गया कि वर्ष 2006-07 के डी.सी.आर. में लाल प्रविष्टि संख्या 36 पर एक व्यवहारी (मैसर्स केरियर बिल्डर, जयपुर) के विरुद्ध ₹ 7.73 लाख की मांग बकाया थी, की प्रविष्टि थी। तथापि, वर्ष 2007-08 के डी.सी.आर. में मांग ₹ 7.73 लाख को अग्रेषित नहीं किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिये कि 2007-08 के डी.सी.आर. में सभी प्रविष्टियों को सही दर्ज कर लिया था, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2006-07 के डी.सी.आर. को सत्यापित नहीं किया था।

ध्यान दिलाये जाने पर (अक्टूबर 2011), निर्धारण अधिकारी ने सूचित किया (नवम्बर 2011) की वर्ष 2011-12 के डी.सी.आर. की क्रम संख्या 83 पर ₹ 7.73 लाख की मांग दर्ज कर दी गई।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि वर्ष के अन्त में डी.सी.आर. में शेष प्रविष्टियों को निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले वर्ष के डी.सी.आर. में लाल स्याही में अग्रेषित एवं प्रमाणित किया गया। आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने भी डी.सी.आर. की जांच की। तथापि, उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है कि उनके द्वारा ऐसी जांच नहीं की गई थी।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि वर्तमान वर्ष के डी.सी.आर. में बकाया मांग की सभी प्रविष्टियां अग्रेषित कर दी गई थी, एक प्रभावी प्रणाली लागू करने पर विचार करे

2.9.15.2 विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना

(i) प्रेषण नम्बर के बिना नोटिसों को जारी करना

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया कि मापक जांच किये गये वृत्तों में से किसी में भी मांग/कारण बताओ नोटिसों इत्यादि जारी करने के लिये प्रेषण रजिस्टर संधारित नहीं किए जा रहे थे। प्रेषण नम्बर अंकित किये बिना ही नोटिस प्रेषण किये गये थे। प्रेषण नम्बर के अभाव में व्यवहारियों को जारी किये गये नोटिसों/मांग आदेशों को पिछली दिनांकों में जारी किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि मांग नोटिस की प्रविष्टि डी.सी.आर. में करने के बाद ही जारी किया जाता है एवं डी.सी.आर. में दिनांक-वार प्रविष्टियां की जाती हैं। तथापि, वस्तुस्थिति/तथ्य यह है कि डी.सी.आर. का तात्पर्य प्रेषण नम्बर अवांतिट किए जाने से नहीं है, इस उद्देश्य के लिए पृथक प्रेषण रजिस्ट्रों का संधारण किया जावे।

(ii) राजस्व संग्रहण रजिस्टर (आर.सी.आर.) से सत्यापन किये बिना जमाओं का समायोजन

दिनांक 31 मई 2008 के परिपत्र के अनुसार, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमाओं का समायोजन आर.सी.आर. से इसके उचित सत्यापन के बाद दिया जावे।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया, कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा जमाओं का समायोजन आर.सी.आर. में जमाओं का सत्यापन किये बिना चालान के पार्ट-IV के आधार पर दिया गया था। आर.सी.आर. से सत्यापन के अभाव में, व्यवहारियों द्वारा जमाओं की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि आर.सी.आर. से सत्यापन के पश्चात् ही जमाओं के समायोजन दिये जाने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(iii) अन्य विभागों से अभिलेखों के प्रति-सत्यापन का अभाव

27 अप्रैल 2009 को जारी विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार, निर्धारण अधिकारी अन्य राजस्व विभागों यथा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर इत्यादि से सूचनायें एकत्रित कर प्रति-सत्यापन करेंगे। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारियों को बैंकों तथा विद्युत कम्पनियों इत्यादि से भी सूचना एकत्रित करने के लिए भी

निर्देश दिये गये थे। व्यवहारियों द्वारा उनकी विवरणियों में दिये गये लेन-देनों के विवरण की सत्यता को जांचने के लिये ये निर्देश जारी किये गये थे।

चयनित वृत्तों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ऐसा कोई प्रति-सत्यापन नहीं किया गया था। प्रति-सत्यापन के अभाव में, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सूचनायें अन्य विभागों यथा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि कि विवरणियों के साथ प्रस्तुत सूचनाओं से प्रति-सत्यापित नहीं हो सकी।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि प्रतिकरापवंचन शाखा द्वारा अन्य विभागों से प्रति-सत्यापन किया जाता है। तथापि, व्यवहारियों द्वारा उनकी विवरणियों में दर्शायी गई सूचना का संबंधित विभागों से प्रति-सत्यापन किये जाने के संबंध में अभिलेख में कोई सूचना नहीं थी।

सरकार को, व्यवहारियों के सव्यवहारों का संबंधित विभागों से चरणबद्ध तरीके से, नियमित कालिक अन्तरालों में प्रति-सत्यापन करने के लिए, एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

2.9.16 शास्ति का कम आरोपण/अनारोपण

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 58 के अनुसार, 08 जुलाई 2009 से कोई व्यवहारी, जिसे प्रति माह कर चुकाना आवश्यक है, बिना किसी उचित कारण के निर्धारित समय में निर्धारित विवरणी को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी त्रुटि के लिये ₹ 100 प्रतिदिन से प्रथम पन्द्रह दिन तक तथा उसके बाद ₹ 500 प्रतिदिन से उस अवधि के दौरान जब तक ऐसी विवरणियों के प्रस्तुतिकरण में त्रुटि लगातार थी, लेकिन व्यवहारी से निर्धारित कर के कुल 30 प्रतिशत से अधिक की नहीं, शास्ति की वसूली की जावेगी। इससे पूर्व शास्ति की दर ₹ 10 प्रतिदिन थी।

2.9.16.1 छः वृत्तों¹⁵ की मापक जांच के दौरान पाया गया (अगस्त 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) कि 24 व्यवहारियों ने वर्ष 2008-09 की उनकी 'चतुर्थ त्रैमासिक विवरणियों' को सात से 489 दिनों की देरी से प्रस्तुत की। व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (मई 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य), निर्धारण अधिकारियों ने संशोधित दर से पूर्व की दर यथा ₹ 100 प्रतिदिन प्रथम पन्द्रह दिन एवं उसके बाद ₹ 500 प्रतिदिन के

स्थान पर ₹ 10 प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.49 लाख की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

¹⁵ वृत्त-विशेष-III जयपुर, विशेष-1 जयपुर, विशेष अजमेर, जे जयपुर, विशेष राजस्थान जयपुर एवं विशेष-1 भिवाड़ी।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुसार, जहां कार्य संविदा का एक अवार्डर, बिलों में से कर के स्थान पर राशि कटौती कर निर्धारित तरीके से एवं समय पर उसे जमा नहीं कराता है, तो वह कटौती किये हुए कर एवं ऐसी कटौती की हुई राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

2.9.16.2 वृत्त वर्क्स कर, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (मार्च 2012) कि एक अवार्डर (मैसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, जोधपुर) ने ठेकेदार के बिलों से कर के स्थान पर वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 33.72 लाख एवं

2008-09 के दौरान ₹ 49.39 लाख की कटौती की। कर निर्धारण आदेश की जांच में पाया गया कि अवार्डर द्वारा 2007-08 में कर को एक से आठ माह एवं 2008-09 में दो से आठ माह की देरी से जमा कराया। अवार्डर क्रमशः वर्ष 2007-08 के लिये ₹ 2.95 लाख एवं 2008-09 के लिये ₹ 5.65 लाख शास्ति चुकाने हेतु उत्तरदायी था।

तथापि, निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी (अवार्डर) के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य) शास्ति का आरोपण नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 8.60 लाख की शास्ति के आरोपण का अभाव रहा।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि वृत्त विशेष अजमेर एवं विशेष राजस्थान, जयपुर के तीन प्रकरणों में ₹ 2.12 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी। शेष प्रकरणों में जवाब प्रतिक्षित है (नवम्बर 2012)।

2.9.17 सेस पर कर का अनारोपण

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) के अनुसार, विक्रय मूल्य का अर्थ 'कोई वैधानिक वसूली या माल के सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये वसूली गई राशि या उसके देने के समय या पहले दी गई सेवायें ऐसे माल के विक्रय मूल्य में शामिल की जायेगी'।

इसके अतिरिक्त, रा.मू.प.कर नियम, 2006 के नियम 22(5) के अनुसार, करयोग्य टर्नओवर को निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वसूली गई सेस की राशि को घटाया जायेगा।

वृत्त विशेष राजस्थान, जयपुर की पेट्रोलियम कम्पनियों के अभिलेखों एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा 2007-08 से 2010-11 के दौरान डीजल एवं पेट्रोल की डिपो प्राइस पर वेट चुकाया गया। पेट्रोलियम कम्पनियों ने डीजल एवं पेट्रोल दोनों पर ₹ 500 प्रति किलोलीटर से सेस भी वसूली गई थी।

जिसे वेट की गणना के लिये विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया एवं तदनुसार निर्धारण आदेश पारित किये गये।

तथापि, करयोग्य टर्नओवर में से सेस को घटाना रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के विपरीत था। चूंकि कर वसूली के लिये सेस विक्रय मूल्य का भाग था, विक्रय मूल्य की संगणना के लिए इसे घटाने के परिणामस्वरूप नीचे दशायितुनुसार ₹ 183.13 करोड़ के कर की हानि हुई:

(i) डीजल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीजल की बिक्री किलोलीटर में	देय सेस ₹ 500 प्रति किलोलीटर की दर से	वेट की दर प्रतिशत में	सेस पर देय वेट
2007-08	35,78,820	178.94	20	35.79
2008-09	37,15,977	185.80	18	33.44
2009-10	39,35,088	196.75	18	35.42
2010-11	38,95,153	194.76	18	35.06
योग				139.71

(ii) पेट्रोल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोल की बिक्री किलोलीटर में	देय सेस ₹ 500 प्रति किलोलीटर की दर से	वेट की दर प्रतिशत में	सेस पर देय वेट
2007-08	6,63,292	33.16	28	9.28
2008-09	7,40,386	37.02	28	10.37
2009-10	8,42,066	42.10	28	11.79
2010-11	8,55,741	42.79	28	11.98
योग				43.42

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि विभाग सेस को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं कर रहा था क्योंकि रा.मू.प.कर नियम, 2006 के नियम 22(5) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा विशेष उद्देश्य हेतु सेस राशि की वसूली करयोग्य टर्नओवर में से घटाई जाती है एवं अधिनियम को लागू करने के लिये सरकार द्वारा नियम बनाये जाते हैं। अधिनियम की धारा 2(36) में दर्शायी वैधानिक वसूली सामान्य प्रकृति की है, जबकि सेस विशेष उद्देश्य के लिये वसूली जाती है। इस प्रकार रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) के प्रावधानों का रा.मू.प.कर नियम, 2006 के नियम 22(5) के प्रावधानों से विरोधाभास नहीं है। विभाग के मत से लेखापरीक्षा सहमत नहीं है क्योंकि अधिनियम स्पष्ट कहता है कि कोई वैधानिक वसूली या माल के सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये वसूली गई राशि या उसके देने के समय या पहले दी गई सेवायें, ऐसे माल के विक्रय मूल्य में शामिल की जायेगी। इस प्रकार, करयोग्य

टर्नओवर में से सेस की राशि को कम करने के लिये नियम में बना हुआ प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों का विरोधाभासी है।

सरकार रा.मू.प.कर नियमों एवं रा.मू.प.कर अधिनियम के प्रावधानों का पुर्नमिलान करने पर विचार करे

2.9.18 निष्कर्ष

अवनिर्धारण, अनियमित आई.टी.सी. स्वीकारने, एवं कर के अधिक आस्थगन, ब्याज एवं सब्सडी के प्रकरण, अधिनियम के प्रावधानों एवं विभागीय दिशा निर्देशों की अनदेखी इंगित करता है कि विभाग को अपने आन्तरिक नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे राजस्व के रिसाव को न्यूनतम किया जा सके। कर मुक्ति स्वीकृत करने एवं कर मुक्ति आदेशों में शर्तों में छूट/ढील देने में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए।

2.9.19 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करे कि:

- रा.मू.प.कर अधिनियम की धारा 23 एवं 24 के अन्तर्गत विवरणियों को स्वीकार करते समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के वार्षिक लेखे/ऑडिट रिपोर्टों के प्राप्त करने एवं जांच करने के सम्बन्ध में विभाग निर्धारण अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करे;
- चुकाये गये कर के पूर्व सत्यापन एवं खरीदे गये माल का वास्तविक उपयोग करने के बाद आई.टी.सी. स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में विभाग निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी करे;
- विभाग आस्थगित कर के विवरणों को डी.सी.आर. में दर्ज करे ताकि इसकी सही स्थिति एवं समय पर भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके;
- निर्धारण अधिकारियों को उनके द्वारा कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देने के बाद घोषण-पत्रों को स्वीकार नहीं करने के दिशा निर्देश जारी करे;
- बकाया मांग की सभी प्रविष्टियों को वर्तमान वर्ष के डी.सी.आर. में अग्रेषित करने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार प्रभावी नियन्त्रण प्रणाली लागू करने पर विचार करे।

2.10 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा को वाणिज्यिक कर विभाग में मूल्य परिवर्धित कर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में अधिनियमों/नियमों की अनुपालना नहीं करने के अनेक प्रकरण, कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत संगणना, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अधीन कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन राशि के कर की रियायती दर लगना ज्ञात हुये। इनमें से कुछ कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी दर्शायी गई थी, लेकिन न केवल अनियमिततायें विद्यमान हैं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

2.11 अधिनियमों/नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, नियमों एवं अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान है:

- (क) करयोग्य टर्नओवर पर निर्धारित दरों से कर का आरोपण,
- (ख) सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स व्यवहारियों, ईट भट्टा मालिकों, टैन्ट और पेट्रोलियम व्यवहारियों को कुछ उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने पर प्रशमन योजना का लाभ देना;
- (ग) प्रवेश कर का आरोपण; तथा
- (घ) मनोरंजन कर का आरोपण।

अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण/अवमूली से संबंधित अनुच्छेद 2.11.1 और 2.11.5 के मामलों में उपरोक्त के कुछ प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया।

2.11.1 करयोग्य टर्नओवर पर कर का कम/अनारोपण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार, इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा देय कर, अनुसूची-III से VI में माल की बिक्री के करयोग्य टर्नओवर पर अनुसूची में विशिष्ट माल के सामने कर की अंकित दरों के अनुसार आरोपित होगा। उक्त अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत कर भुगतान में विलम्ब की दशा में ब्याज आरोपण योग्य है।

पाँच कार्यालयों¹⁶ के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में (जुलाई 2011 और फरवरी 2012 के मध्य) लेखापरीक्षा ने पाया कि छः व्यवहारियों के अन्तिम निर्धारण में, निर्धारण अधिकारियों ने करयोग्य टर्नओवर का कम आकलन किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ के कर एवं ₹ 38.05 लाख के ब्याज का कम/अनारोपण हुआ, जो निम्न प्रकार है:

(i) लेखापरीक्षा में पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स सचिनधलर प्रा.लि., जयपुर) के वर्ष 2008-09 के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने कमीशनिंग एवं संस्थापन चार्ज की सही राशि ₹ 175.50 लाख के बजाय गलत राशि ₹ 17.50 लाख लेने के कारण कर का गलत निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.75 लाख के कर एवं ₹ 5.92 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2012)। सरकार ने सूचित (जुलाई 2012) किया कि मई 2012 में ब्याज ₹ 7.90 लाख को सम्मिलित करते हुये ₹ 27.65 लाख की मांग कायम की गई है। वसूली का जवाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स श्री बालाजी स्टील स्क्रैप ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर) के वर्ष 2007-08 के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2010) निर्धारण अधिकारी ने ₹ 424.84 लाख के टर्नओवर का निर्धारण किया और ₹ 367.16 लाख के टर्नओवर को फ्री माल के रूप में कर मुक्त गलत माना। यद्यपि, व्यवहारी ने उक्त टर्नओवर पर कर मुक्ति का कोई दावा नहीं किया। व्यवहारी ने त्रैमासिक विवरणियों, कर-विवरण और वेट आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ₹ 792.00 लाख का कुल करयोग्य टर्नओवर था। इस प्रकार चूक के कारण ₹ 367.16 लाख के करयोग्य टर्नओवर का अवनियमित निर्धारण हुआ जिसमें कर ₹ 14.69 लाख एवं ब्याज ₹ 6.17 लाख (मार्च 2011 तक संगणित) सम्मिलित है।

¹⁶ वृत्त : विशेष-II जयपुर, विशेष-VII जयपुर, विशेष राजस्थान जयपुर, जी-जयपुर एवं जे-जयपुर।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2011) और सरकार को सूचित किया गया (सितम्बर 2011)। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि मई 2012 में ब्याज ₹ 8.22 लाख को सम्मिलित करते हुये ₹ 22.91 लाख की मांग कायम की गई है। वसूली का जबाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

(iii) लेखापरीक्षा ने पाया कि दो व्यवहारियों ने वर्ष 2006-07 से 2008-09 में 'डी-ऑइलड राइस ब्रान' का विक्रय किया। अधिनियम की अनुसूची IV के प्रविष्टि क्रमांक 64 के अन्तर्गत 'डी-ऑइलड राइस ब्रान' 4 प्रतिशत करयोग्य है। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इसे कर मुक्त बिक्री मानते हुये कर आरोपित नहीं किया। इस प्रकार 'डी-ऑइलड राइस ब्रान' की बिक्री को कर मुक्त माल के रूप में गलत मानने के परिणामस्वरूप ₹ 67.97 लाख के कर एवं ₹ 23.55 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ, जो निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वृत्त एवं व्यवहारी का नाम	अवधि एवं आदेश की दिनांक	माल का मूल्य जिस पर कर का आरोपण नहीं किया	4 प्रतिशत की दर से कर आरोपण	आरोपणीय ब्याज
1.	वृत्त 'जी.' जयपुर (मैसर्स एन.ए. ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर)	2006-07 06.03.2009	328.79	13.15	7.10
		2008-09 11.08.2010	578.81	23.15	6.95
2.	वृत्त-'जे' जयपुर (मैसर्स विष्णु कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर)	2008-09 04.01.2011	791.71	31.67	9.50
योग				67.97	23.55

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2011) और सरकार को सूचित किया गया (जून 2012)। सरकार ने सूचित (अक्टूबर 2012) किया वृत्त-जे जयपुर के प्रकरण में ₹ 14.57 लाख के ब्याज सहित ₹ 46.24 लाख की मांग कायम की गई है। वसूली का जबाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

(iv) वृत्त-जी, जयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स गुप्ता एलॉयज, जयपुर) ने वर्ष 2008-09 के दौरान कन्साइनमेंट के आधार पर प्राप्त माल को ₹ 149.46 लाख में विक्रय किया और ₹ 5.98 लाख आउटपुट कर के एकत्र किये। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस बिक्री का कुल करयोग्य टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.98 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2011) और सरकार का सूचित किया (जून 2012)। उनका जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-1A के अनुसार, विक्रय मूल्य में से नकद एवं व्यापार बट्टे को बिक्री में से कम किया जाता है लेकिन बिक्री में से भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत बट्टा कम नहीं होगा।

(v) वृत्त-विशेष राजस्थान, जयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी (मैसर्स मेरिको लिमिटेड, जयपुर) के वर्ष 2008-09 के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय वेट बिल जारी करने

के बाद के करयोग्य टर्नओवर में से बट्टे के ₹ 1.47 करोड़ को कम करके मूल्यांकन किया।

विक्रय के बाद अनियमित बट्टे की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 8.03 लाख के कर एवं ₹ 2.41 लाख के ब्याज का अवनिर्धारण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2011) और सरकार को सूचित (जून 2012) किया। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 10.44 लाख की मांग कायम की गई। वसूली का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2012)।

2.11.2 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार, एक व्यवहारी द्वारा देय कर, विक्रय किये गये माल पर करयोग्य टर्नओवर जो अनुसूची III, IV एवं VI में उल्लिखित हो और उक्त अनुसूचियों में प्रत्येक वस्तु के सामने दर्शित दर के अनुसार होगा। अधिनियम की अनुसूची V के अनुसार जो वस्तु अधिनियम की किसी भी अनुसूची में दर्ज नहीं है, पर 12.5 प्रतिशत की दर आरोपणीय होगी। इसके अतिरिक्त, रा.मू.प.कर अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कर के भुगतान में विलम्ब की दशा में ब्याज आरोपणीय है।

सहायक आयुक्त, वृत्त 'बी', जयपुर के एक व्यवहारी मैसर्स दीप सन्स इंजीनियरिंग, जयपुर के वर्ष 2008-09 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच (2010-11) में पाया कि निर्धारण अधिकारी (सितम्बर 2010) ने इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर को पूंजीगत माल मानते हुये 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया। यद्यपि व्यवहारी ने ₹ 58.52 लाख के इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर

के कम्पोनेन्ट्स का विक्रय किया। यह पूंजीगत माल का हिस्सा नहीं था अपितु विनिर्मित माल का कम्पोनेन्ट/हिस्सा था। ये कम्पोनेन्ट अनुसूची I से IV एवं VI

में वर्गीकृत नहीं थे और अनुसूची V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय थे। इस प्रकार कर की गलत दर लगाने के कारण ₹ 4.97 लाख के कर एवं ₹ 1.49 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2012) और सरकार को सूचित किया गया (मार्च 2012)। सरकार ने सूचित किया (जून 2012) कि व्यवहारी ने इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर के कम्पोनेन्ट बेचे और ये पूंजीगत माल की श्रेणी में आते हैं। जवाब राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(7) के अनुसार नहीं है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर के कम्पोनेन्ट पूंजीगत माल की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये माल इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर के कच्चे माल के रूप में बेचे गये थे।

2.11.3 प्रशमन योजनाओं में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना

(i) सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स व्यवहारी

सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स व्यवहारियों की प्रशमन योजना के अनुच्छेद 5.4 के अनुसार, यदि व्यवहारी निर्धारित समय में प्रशमन राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसे योजना का लाभ तभी स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह सम्पूर्ण बकाया राशि मय ब्याज एवं विलम्ब शुल्क सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में 31 मार्च से पूर्व जमा कराता है। इसके अतिरिक्त, योजना के अनुच्छेद 7.6/7.7 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-एच, जयपुर कार्यालय के छः व्यवहारियों¹⁷ के वर्ष 2009-11 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में पाया (जनवरी 2012) कि व्यवहारियों ने प्रशमन योजना का विकल्प दिया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अनुसार वर्ष 2007-09 के दौरान ₹ 31.82 करोड़ के टर्नओवर पर देय कर दायित्व ₹ 31.82 लाख था। लेकिन व्यवहारियों ने

इसे या तो जमा नहीं कराया अथवा विलम्ब से जमा करवाया। व्यवहारियों द्वारा कुल राशि ₹ 5.08 लाख चुकाये गये। निर्धारण अधिकारी को विवरणियाँ स्वीकार करते समय गलती ध्यान में नहीं आने के परिणामस्वरूप ₹ 26.74 लाख के कर की कम वसूली के अतिरिक्त ₹ 9.27 लाख ब्याज (मार्च 2011 तक संगणित) भी आरोपणीय था।

¹⁷ 1. मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स, 2. मैसर्स हार्दिक इम्पेक्स, 3. मैसर्स राजरतन ज्वैलर्स, 4. मैसर्स दारूका जेम्स, 5. मैसर्स जी.के.चूडीवाला, 6. मैसर्स के.जे.जेम्स।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी एवं फरवरी 2012) और सरकार को सूचित किया (जनवरी एवं मार्च 2012)। मैसर्स के.जे. जैम्स, जयपुर के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2012) कि ₹ 14.61 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी (जून एवं जुलाई 2012)। वसूली की सूचना एवं शेष व्यवहारियों के मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)।

(ii) ईट भट्टा मालिक

ईट भट्टा (योजना) के लिये प्रशमन योजना के अनुच्छेद 5.1 के अनुसार, व्यवहारी प्रशमन कर का विकल्प ले सकता है और अधिसूचना में निर्धारित दरों के अनुसार प्रशमन राशि का भुगतान कर सकता है। व्यवहारियों को अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर या रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रशमन योजना के विकल्प लेने थे। इसके अतिरिक्त, योजना के अनुच्छेद 4.1 में त्रैमासिक भुगतान की निर्धारित तिथि उल्लिखित है। योजना के अनुच्छेद 7.6 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों¹⁸ के वर्ष 2009-11 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (फरवरी 2012) कि दो ईट भट्टा मालिकों को प्रशमन योजना का लाभ स्वीकृत किया गया। यद्यपि, वे योजना की शर्तों को पूर्ण नहीं कर पाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.17 लाख के कर एवं ₹ 2.26 लाख के ब्याज (मार्च 2011 तक संगणित) का अनारोपण

¹⁸ वृत्त: 'बी' अलवर एवं 'बी' उदयपुर।

हुआ, जो निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

वृत्त/ व्यवहारी का नाम	निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह)	लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रकृति	कर एवं ब्याज की कम वसूली
'बी' अलवर (मैसर्स श्याम ब्रिक्स)	2007-08 (मार्च 2010)	व्यवहारी ने निर्धारित समय 7 जनवरी 2007 तक यथा उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि से 30 दिन के भीतर योजना विकल्प नहीं लिया। उन्होंने 19 अप्रैल 2007 को योजना का विकल्प लिया और वर्ष 2007-08 के लिये ₹ 1.44 लाख एवं वर्ष 2008-09 के लिए व्यवहारी ने ₹ 1.58 लाख प्रशमन राशि जमा करवायी। व्यवहारी का वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 1.43 करोड़ टर्नओवर था जिस पर ₹ 5.72 लाख का कर दायित्व था।	2.70
	2008-09 (नवम्बर 2010)		0.92
'बी' उदयपुर (मैसर्स डिजाइनर इण्डस्ट्रीज)	2008-09 (फरवरी 2011)	व्यवहारी ने फरवरी 2012 तक कर का भुगतान नहीं किया था लेकिन निर्धारण को अन्तिम रूप (फरवरी 2011) देते समय कर का प्रशमन गलत स्वीकृत किया गया था। व्यवहारी का वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 1.12 करोड़ टर्नओवर था जिस पर ₹ 4.47 लाख का कर दायित्व था।	4.47
योग			9.43

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2012) और सरकार को सूचित किया (मार्च 2012)। मैसर्स डिजाइनर इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि ₹ 5.29 लाख की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2012)।

(iii) पेट्रोलियम व्यवहारी

प्रशामन योजना के अनुच्छेद 4.01 के अनुसार पेट्रोलियम कम्पनियों के लिये खुदरा निर्गम वाले पंजीकृत व्यवहारियों के लिये, व्यवहारी कर के प्रशामन के लिए विकल्प ले सकता है और अधिसूचना में निर्धारित दरों के अनुसार प्रशामन राशि का भुगतान कर सकता है। व्यवहारी को प्रशामन राशि का भुगतान त्रैमास की समाप्ति के अगले माह की 7 तारीख तक करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, योजना के अनुच्छेद 8.8 के अनुसार व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय, टोंक के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में पाया (फरवरी 2012) कि वर्ष 2008-09 के दौरान 12 पेट्रोलियम व्यवहारियों ने ₹ 0.51 लाख की प्रशामन राशि का निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया। इसलिए, वे प्रशामन योजना के लाभ के हकदार नहीं थे। ₹ 6.00 लाख की कर देयता सहित व्यवहारियों का टर्नओवर ₹ 47.97 लाख था। लेकिन निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय कर के प्रशामन को

गलत स्वीकृति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.49 लाख के कर के की कम वसूली के अतिरिक्त ₹ 1.65 लाख ब्याज (मार्च 2011 तक संगणित) भी देय था। चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2011) और सरकार को सूचित किया (दिसम्बर 2011)। सरकार ने सूचित (जुलाई 2012) किया कि मई 2012 में ₹ 5.49 लाख के कर एवं ₹ 1.97 लाख के ब्याज की मांग कायम की गई थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2012)।

(iv) पंजीकृत टेन्ट व्यवहारी

पंजीकृत टेन्ट व्यवहारियों के लिये प्रशामन योजना के अनुसार, व्यवहारी प्रशामन कर का विकल्प ले सकता है और अधिसूचना में निर्धारित दरों के अनुसार प्रशामन राशि का भुगतान कर सकता है। अनुच्छेद 5.01 के अनुसार व्यवहारियों को अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर/पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने/वर्ष के शुरुआत में, जो भी बाद में हो, योजना के लिए विकल्प लेने थे। अनुच्छेद 4.01 के अनुसार व्यवहारियों को त्रैमास की समाप्ति के अगले माह की 7 तारीख तक प्रशामन राशि का भुगतान किया जाना था। योजना के अनुच्छेद 8.7 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों में उल्लंघन की दशा में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

वर्क्स कर वृत्त, जोधपुर के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि तीन टेन्ट व्यवहारियों को योजना का लाभ स्वीकृत किया गया तथापि उन्होंने योजना की शर्तों पूर्ण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.85 लाख के कर एवं ₹ 14.70 लाख के ब्याज (मार्च 2011 तक संगणित) का अनारोपण हुआ, जो आगामी सारणी में निम्न प्रकार है:

निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह)	लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रकृति	कर एवं ब्याज की कम वसूली (मार्च 2011 तक)
2008-09 (सितम्बर 2010)	व्यवहारी ने देय दिनांक के नौ माह बाद योजना का विकल्प लिया और वर्ष 2008-09 के लिये प्रशमन राशि के रूप में ₹ 0.04 लाख जमा कराई। व्यवहारी का वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 17.60 लाख टर्नओवर था जिस पर ₹ 2.20 लाख का कर दायित्व था।	2.16 0.65
2007-08 (मार्च 2010)	व्यवहारी ने वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित अवधि के दो वर्ष बाद प्रशमन राशि ₹ 0.09 लाख 05.03.2010 को जमा कराई।	8.00 2.84
2008-09 (सितम्बर 2010)	व्यवहारी ने वर्ष 2008-09 के लिये देय दिनांक के नौ माह बाद आवेदन किया और ₹ 0.09 लाख की प्रशमन राशि जमा कराई। व्यवहारी का वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिये ₹ 65.43 लाख टर्नओवर था जिस पर ₹ 8.18 लाख का कर दायित्व था।	
2006-07/ 2007-08/ 2008-09 (फरवरी 2009, 2010 एवं अगस्त 2010)	व्यवहारी ने निर्धारण तिथि तक ₹ 0.59 लाख प्रशमन राशि के स्थान पर ₹ 0.48 लाख चुकाये। व्यवहारी का वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में ₹ 225.46 लाख टर्नओवर था जिस पर ₹ 28.17 लाख का कर दायित्व था।	27.69 11.21

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2012) और सरकार को सूचित किया (मार्च एवं अप्रैल 2012)। उनके जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

प्रवेश कर

2.11.4 प्रवेश कर का कम/अनारोपण

राजस्थान में स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2006 के अनुसार, राज्य के बाहर से व्यापार में उपयोग या उपभोग के लिये क्रय किये गये माल पर देय प्रवेश कर की निर्धारित दरें आरोपणीय है।

सात वृत्त कार्यालयों¹⁹ के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि 11 व्यवहारियों ने प्रवेश कर चुकाये बिना व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये राज्य के बाहर से माल क्रय किया, जिस

¹⁹ वृत्त: विशेष अलवर, जे-जयपुर, डब्ल्यू.टी.जोधपुर, मी-जयपुर, विशेष-1 भिवाड़ी, विशेष-II जयपुर एवं बी-उदयपुर।

पर प्रवेश कर आरोपणीय था। लेकिन, निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय प्रवेश कर के आरोपण हेतु वेट विवरणियों के साथ सलंगन प्रपत्रों में दर्शित खरीद माल का मिलान नहीं कर पाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.86 लाख के प्रवेश कर एवं ₹ 14.66 लाख के ब्याज का कम/अनारोपण हुआ।

ध्यान में लाये जाने के बाद, विभाग ने छः प्रकरणों में ₹ 21.65 लाख की मांग कायम की और एक प्रकरण में ₹ 1.09 लाख वसूल किये। वसूली की सूचना एवं शेष प्रकरणों का जवाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

मनोरंजन कर

2.11.5 मनोरंजन कर का अवनिर्धारण

राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (रा.म.वि. कर अधिनियम) की धारा 4 एए के अनुसार, डाइरेक्ट टू होम (डी.टी.एच.) ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के प्रोपराइटर, 25 फरवरी 2008 से प्रति उपभोक्ता से प्राप्त अंशदान शुल्क का 10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, रा.म.वि.कर अधिनियम की धारा 9 ए उपबन्धित करता है कि यदि प्रोपराइटर निर्धारित समय में कर की राशि नहीं चुकाता है तो प्रोपराइटर उक्त राशि पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रतिकरपंचना - प्रथम, राजस्थान वृत्त, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि वृत्त के सर्वे दल ने मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड, जयपुर के प्रतिष्ठान का फरवरी 2009 में सर्वे किया। यद्यपि, सर्वे रिपोर्ट एवं निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 4.51 करोड़ का मनोरंजन कर देय था लेकिन निर्धारण अधिकारी वृत्त-आई, जयपुर ने

केवल ₹ 1.59 करोड़ का निर्धारण आदेश पारित किया। अभिलेखों में कम मांग राशि कायम किये जाने के कारण नहीं पाये गये। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज के ₹ 1.07 करोड़ सहित ₹ 3.99 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2011) और सरकार को सूचित (जून 2012) किया, उनके जवाब प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)।